समाचार

प्रतिबंधित प्लास्टिक कैरीबैग आदि का उपयोग न करें–महापौर

(महापौर श्री राजकिशोर प्रसाद ने व्यापारीबंधुओं व आमनागरिकों से की अपील)

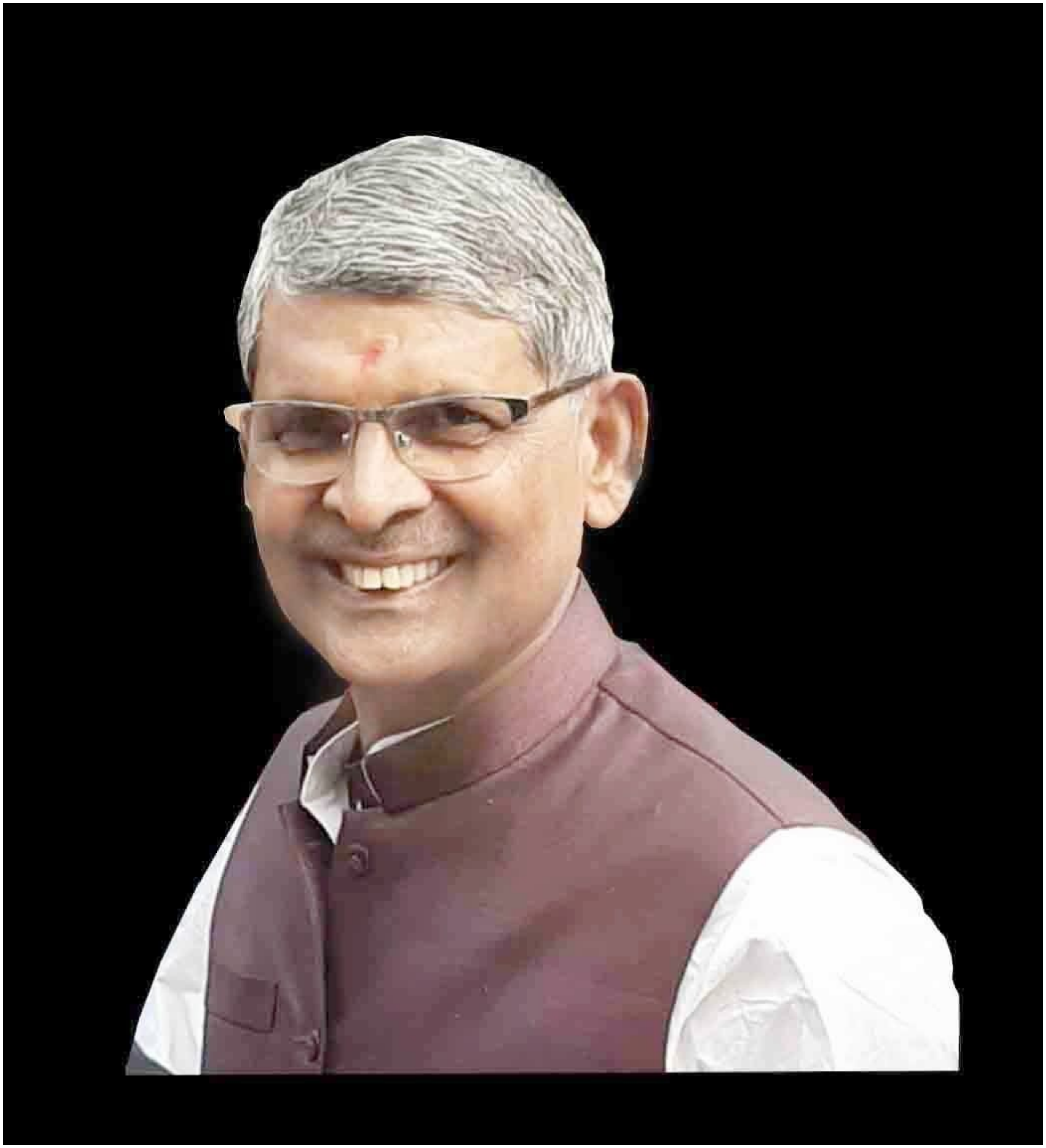

कोरबा 09 जुलाई 2021 –महापौर श्री राजकिशोर प्रसाद ने नगर के व्यापारीबंधुओं एवं आमनागरिकों से अपील करते हुए कहा है कि प्रतिबंधित प्लास्टिक कैरीबैग, डिस्पोजल व अन्य प्रतिबंधित प्लास्टिक सामग्री का उपयोग न करें, इनके स्थान पर कपड़े, जूट आदि के थैले व कागज के लिफाफे तथा अन्य वैकल्पिक साधनों को अपनाएं, कोरबा को प्रतिबंधित प्लास्टिक से मुक्त करने में अपना सहयोग दें।

महापौर श्री प्रसाद ने अपील करते हुए कहा है कि निर्धारित मानक के अनुरूप न होने वाली प्लास्टिक से बनी हुई सामग्रियों के निर्माण, भण्डारण एवं विक्रय आदि पर शासन द्वारा प्रतिबंध लगाया गया है। प्रतिबंधित प्लास्टिक से निर्मित कैरीबैग, डिस्पोजल सहित अन्य प्रतिबंधित प्लास्टिक सामग्री पर्यावरण,

साफ–सफाई व्यवस्था व मानव स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है, वहीं मवेशियों व अन्य जीव–जन्तुओं के लिए भी घातक है। उन्होने व्यापारीबंधुओं से अनुरोध करते हुए कहा है कि वे अपने व्यवसाय के दौरान दुकानों व प्रतिष्ठानों में प्लास्टिक कैरीबैग, प्लास्टिक डिस्पोजल आदि का उपयोग न करें, इनके स्थान पर कपड़े व जूट के बने थैले, कागज के लिफाफे व अन्य वैकल्पिक साधनों को अपनाएं। आप अपने ग्राहकों को भी प्रेरित करें कि वे बाजार जाते समय कपड़े, जूट आदि के थैले साथ में लेकर जाएं। महापौर श्री प्रसाद ने आमनागरिकों से भी अपील करते हुए कहा है कि वे बाजार जाते समय कपड़े, जूट आदि के थैले साथ में रखें तथा दुकानदारों से प्लास्टिक कैरीबैग आदि की मांग न करें एवं अन्य लोगों को भी इस हेतु जागरूक करें। उन्होने कहा है कि नगर पालिक निगम कोरबा द्वारा अपने कोरबा शहर को प्रतिबंधित प्लास्टिक से मुक्त करने का अभियान चलाया जा रहा है, इसमें अपना सहयोग दें। उन्होने अनुरोध करते हुए कहा है कि हम सब संकल्प लें कि हम प्रतिबंधित प्लास्टिक कैरीबैग, प्लास्टिक डिस्पोजल सहित प्रतिबंधित प्लास्टिक से बनी अन्य सामग्रियों का उपयोग नहीं करेंगे तथा अपने कोरबा शहर को '' **प्लास्टिक फ्री कोरबा** '' बनाएंगे।